दिनांक 19.08.2015 को कृषि विभाग, विकास भवन के सभा कक्ष में आयोजित राज्यस्तरीय मासिक समीक्षात्मक बैठक की कार्यवाही।

उपस्थितिः— पंजी में संधारित।

1. गत बैठक का अनुपालन :—

1.1 दिनांक 14.07.2015 को आयोजित राज्य स्तरीय मासिक बैठक की कार्यवाही के अनुपालन की समीक्षा के क्रम में निदेश, बामेति द्वारा बताया गया कि सभी जिला के कम्प्यूटर ऑपरेटरों एवं मुख्यालय के सभी योजनाओं के प्रभारी के कोषांग में कार्यरत कम्प्यूटर ऑपरेटरों का प्रशिक्षण सितम्बर माह के प्रथम सप्ताह में आयोजित करने का प्रस्ताव है। उप निदेशक (शष्य) सूचना को वांछित सूचनाएँ यथा— प्रशिक्षण कार्यक्रम का विषयवस्तु, प्रशिक्षणार्थीयों की संख्या, संभावित व्यय संबंधी प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया।

(अनुपालन — उप निदेशक (शष्य), सूचना)

1.2 बीज ग्राम योजना अंतर्गत बी0आर0बी0एन0 द्वारा उपलब्ध कराये गये स्वर्णा सब—1 एवं राजेन्द्र मंसूरी—1 बीज के अंकूरण नहीं होने की शिकायत पर निदेशक, बामेती, बिहार को एक टीम गठित कर जॉच करने एवं जवाबदेही तय करते हुए स्पष्ट प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया।

(अनुपालन — निदेशक, बामेती, बिहार)

1.3 कुछ जिला कृषि पदाधिकारियों द्वारा बताया गया कि डी0बी0टी0एल0 के माध्यम से कृषकों को लाभान्वित करने में कठिनाई हो रही है। निदेश दिया गया है कि बैंकों से सम्पर्क कर एवं जिला स्तरीय बैंकर्स कमिटि की बैठक में बैंक के पदाधिकारियों से जिला कृषि पदाधिकारी एवं परियोजना निदेशक, आत्मा सम्पर्क कर डी0बी0टी0एल0 में तेजी लाने की कार्रवाई करें।

(अनुपालन — सभी जिला कृषि पदाधिकारी)

1.4 स्वयंसेवी संस्थान के माध्यम से फसल प्रत्यक्षण कार्यक्रम में **''जीविका''** को प्राथमिकता देने का निदेश दिया गया।

(अनुपालन — सभी जिला कृषि पदाधिकारी)

2. डीजल अनुदान :—

2.1 समीक्षा के क्रम में डीजल अनुदान मद में उपलब्ध कराई गई राशि की निकासी संतोषजनक नहीं पाई गई। सभी जिला कृषि पदाधिकारियों को कृषकों से डीजल अनुदान हेतु आवेदन पत्र प्राप्त करने एवं इसका जॉच कर कृषकों को अनुदान की राशि उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया। जिन जिलों में वर्षापात कम हुआ है, वहॉ अविलम्ब राशि खर्च करने एवं यह सुनिश्चित करने का निदेश दिया गया कि पानी के अभाव में किसी भी किसान का खेत खाली नहीं रहना चाहिए, धान का शत—प्रतिशत रोपनी कराया जाय।

(अनुपालन — सभी जिला कृषि पदाधिकारी)

2.2 ओलावृष्टि से फसलक्षति हेतु उपलब्ध कराये गए अनुदान की राशि का उपयोगिता प्रमाण—पत्र अधिकांश जिलों से अप्राप्त है या पूर्णरूप से प्राप्त नहीं हुआ है। दिनांक 31.08.2015 तक निश्चित रूप से इसे उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया। सभी प्रमंडलीय संयुक्त निदेशक (शष्य) एवं जिला नोडल पदाधिकारी को इसका अनुश्रवण करने एवं दिनांक 31.08.2015 तक अपने जिलों का लंबित उपयोगिता प्रमाण—पत्र भेजवाने का निदेश दिया गया।

(अनुपालन :— सभी प्रमंडलीय संयुक्त निदेशक, शष्य/सभी जिला नोडल पदाधिकारी/सभी जिला कृषि पदाधिकारी)

3. कृषि यांत्रिकीकरण :—

3.1 राज्य नोडल पदाधिकारी (यांत्रिकरण) के द्वारा कृषि यांत्रिकरण राज्य योजना 2015—16 के लिये 175.00 करोड़ रू0 की स्वीकृति की जानकारी सभी जिला कृषि पदाधिकारियों को दी गई। उनके द्वारा यह भी बतलाया गया कि 2015—16 में ऑन लाईन आवेदन प्राप्ति हेतु दिनांक—04.08.2015 से Software open कर दिया गया है।

3.2 अब तक राज्य में कुल 20640 नये आवेदन प्राप्त हुये हैं जिसमें किशनगंज जिला में प्राप्त आवेदन की संख्या शून्य है। कृषि निदेशक, बिहार, पटना के द्वारा सभी जिला कृषि पदाधिकारियों को अधिक से अधिक आवेदन ऑनलाईन कराने का निदेश दिया गया तथा जिन जिलों में नये आवेदनों की संख्या 1000(एक हजार) से कम है उन जिलों में 31.08.2015 तक 1000 से अधिक आवेदन ऑनलाईन कराने का भी निदेश दिया गया।

3.3 वित्तीय वर्ष 2014–15 के लंबित आवेदन पत्रों को वर्ष 2015–16 में Carry Forward करने का आदेश सभी जिला कृषि पदाधिकारियों को दिया गया था। फलस्वरूप अबतक 28970 आवेदन वर्ष 2014–15 से Carry Forward कर दिया गया है। परन्तु 8 (आठ) जिला यथा अररिया, कैमूर, गया, अरवल किशनगंज, सुपौल, जहानाबाद एवं पूर्णियाँ में 3968 आवेदन Carry Forward किया जाना शेष है।

3.4 इसी प्रकार वित्तीय वर्ष 2014–15 के लंबित स्वीकृति पत्र को भी वित्तीय वर्ष 2015–16 में Carry Forward करने का आदेश सभी जिला कृषि पदाधिकारियों को दिया गया था परंतु अबतक नहीं हो पाया है। उक्त दोनों मामले को 25.08.2015 तक Carry Forward करने का निदेश सभी जिला कृषि पदाधिकारियों को दिया गया।

3.5 समीक्षा के क्रम में यह पाया गया कि कतिपय जिलों में अभी भी वित्तीय वर्ष 2014–15 में वितरित यंत्रों का अपडेशन विक्रेता/जिला कृषि पदाधिकारी के स्तर पर लंबित है तथा कतिपय जिलों में लाभान्वितों को RTGS से भुगतान किया गया, परंतु इसे Software में अपडेट नहीं किया गया। उक्त लंबित कार्य को 25.08.2015 तक अपडेट करने का निदेश सभी सम्बंधित जिला कृषि पदाधिकारियों को दिया गया।

(अनुपालन – सभी जिला कृषि पदाधिकारी)

3.6 जिला कृषि पदाधिकारियों से लगातार निम्नांकित प्रतिवेदन की मांग की जाती रही है।

(i) 2014–15 में अनुदान पर एवं बिना अनुदान में बेचे गये ट्रैक्टर की सूची।

(ii) 2014–15 में अनुदान पर वितरित पावर टीलर की सूची

(iii) 2014–15 में कृषि शक्ति की उपलब्धता सम्बंधी प्रतिवेदन

(iv) वर्ष 2012–13, 2013–14, 2014–15 में आयोजित यांत्रिकरण मेला/शिविर की संख्या सम्बंधी प्रतिवेदन।

परंतु कतिपय जिलों से अबतक प्रतिवेदन अप्राप्त है। अप्राप्त जिलों का नाम बैठक में बतलाया गया तथा उन्हें निदेश दिया गया कि दिनांक 20.08.2015 तक हर हाल में e-mail- के माध्यम से statenodalmec18@gmail.com पर प्रतिवेदन उपलब्ध करायें।

(अनुपालन – संबंधित जिला कृषि पदाधिकारी)

4. बीज

4.1 बिहार राज्य बीज निगम द्वारा खरीफ 2015 में बीज ग्राम योजना में आपूरित धान प्रभेद स्वर्णा सब–1 और राजेन्द्र मंसूरी–1 का बीज अंकुरित नहीं होने के संबंध में बिहार राज्य बीज निगम में जवाबदेही निर्धारित करने की बात कृषि निदेशक द्वारा कही गयी। जिला कृषि पदाधिकारियों को कृषि निदेशक द्वारा निर्देश दिया गया कि अमानक बीज की बिक्री किसानों के बीच नहीं हो, यह सुनिश्चित किया जाय। बिहार राज्य बीज निगम द्वारा आपूरित अमानक बीज की जांच निदेशक, बामेती को करने का निदेश कृषि निदेशक द्वारा दिया गया तथा इस हेतु टीम गठित करने का निर्देश दिया गया।

(अनु0– उप निदेशक (शष्य) बीज)

4.2 बकाया बीज अनुदान की निकासी एवं भुगतान–वर्ष 2010–11 से 2014–15 तक का बकाया भुगतान की राशि 3286.93 लाख रू0 की स्वीकृति एवं आवंटन सभी जिला को उपलब्ध करा दिया गया है। प्रधान सचिव, कृषि द्वारा सभी जिला कृषि पदाधिकारी को 31 अगस्त, 2015 तक निकासी कर संबंधित बीज कम्पनी को भुगतान करने का निर्देश दिया गया।

(अनु0– सभी जिला कृषि पदाधिकारी)

4.3 मुख्यमंत्री तीव्र बीज विस्तार कार्यक्रम, एकीकृत बीज ग्राम योजना एवं स्वर्णा सब–1 मिनीकिट उपलब्धि एवं राशि की निकासी– मुख्यमंत्री तीव्र बीज विस्तार कार्यक्रम में कैमूर, मुंगेर, बांका, पूर्णियां एवं खगड़िया जिला की उपलब्धि Google Docs पर शून्य प्रतिवेदित किया गया है। कैमूर के वर्तमान

जिला कृषि पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि पूर्व पदाधिकारी द्वारा कार्रवाई नहीं करने के कारण उपलब्धि नहीं हुई, जिसके कारण कृषि निदेशक द्वारा तत्कालीन जिला कृषि पदाधिकारी से स्पष्टीकरण करने का निर्देश दिया गया। शेष जिला ने बताया कि उपलब्धि हुई है। बीज ग्राम में उपरोक्त जिला के अतिरिक्त गया, औरंगाबाद, वैशाली एवं अररिया की उपलब्धि शून्य है।

4.4 एकीकृत बीज ग्राम योजना में नालंदा एवं बक्सर में मडुआ, पूर्णिया एवं कटिहार में जूट, कैमूर, बक्सर, औरंगाबाद, पूर्वी चम्पारण में धान की उपलब्धि नहीं हुई है।

4.5 धान मिनीकिट स्वर्णा सब–1 का प्रतिवेदन केवल मुजफ्फरपुर एवं सुपौल जिला द्वारा प्रतिवेदित किया गया है। शेष संबंधित जिलो से प्रतिवेदन अप्राप्त है।

4.6 सभी संबंधित संयुक्त निदेशक (शष्य) को कृषि निदेशक द्वारा निर्देश दिया गया कि दो दिनों के अंदर प्रतिवेदन Google Docs पर अपलोड कराना सुनिश्चित करवायेगें। मुख्यमंत्री तीव्र बीज विस्तार कार्यक्रम, एकीकृत बीज ग्राम योजना एवं स्वर्णा सब–1 मिनीकिट की आवंटित राशि की निकासी शीघ्र कर संबंधित आपूर्तिकर्ता को भुगतान किया जाय। **(अनु0– सभी जिला कृषि पदाधिकारी एवं सभी प्रमंडलीय संयुक्त निदेशक (शष्य)**

4.7 **बीज वितरण पंजी का संधारण**–सभी जिला कृषि पदाधिकारी को श्रेणीवार (सामान्य वर्ग, अनुसूचित जाति वर्ग एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग) अलग–अलग बीज वितरण पंजी का संधारण करने हेतु निदेशित किया गया, ताकि श्रेणीवार आवंटित राशि के आलोक में आगे राशि की निकासी करने में सहुलियत हो सके। प्रधान सचिव द्वारा इससे संबंधित पत्र जिलों को देने का निदेश उप निदेशक (शष्य) बीज को दिया गया।

(अनु0– सभी जिला कृषि पदाधिकारी, उप निदेशक (शष्य) बीज)

4.8 **लाभुक किसानों की सूची www.krishimis.in पर अपलोड करना**– उप निदेशक (शष्य) बीज द्वारा सभी जिला कृषि पदाधिकारी से अनुरोध किया गया कि खरीफ 2014 से मुख्यमंत्री तीव्र बीज विस्तार योजना, एकीकृत बीज ग्राम योजना, मिनीकिट योजना एवं बीज ग्राम योजना के लाभुक किसानों की सूची **www.krishimis.in** पर अपलोड किया जाय।

(अनु0– सभी जिला कृषि पदाधिकारी)

5. जैविक उर्वरक प्रोत्साहन कार्यक्रम :–

5.1 व्यवसायिक स्तर पर वर्मी कम्पोस्ट निर्माण इकाई के अनुदान भुगतान हेतु लंबित जॉच प्रतिवेदन तीन दिनों के अंदर उपलब्ध कराने हेतु जिला कृषि पदाधिकारी, पूर्णिया को निदेशित किया गया है।

(अनुपालन– जिला कृषि पदाधिकारी, पूर्णिया)

5.2 गोबर/बायो गैस योजना के कार्यान्वयन हेतु सभी सूचीबद्ध संस्था/कम्पनी की बैठक आयोजित करने हेतु वरीय प्रभारी पदाधिकारी, जैविक प्रोत्साहन कोषांग को निदेश दिया गया है।

(अनुपालन– वरीय प्रभारी पदाधिकारी, जैविक उर्वरक कोषांग)

5.3 सभी जिला कृषि पदाधिकारी को गोबर गैस योजनान्तर्गत दिनांक–31.08.2015 तक लक्ष्य के अनुरूप आवेदन प्राप्त कर Google Doc में प्रतिवेदन अंकित करने हेतु निदेशित किया गया है।

(अनुपालन– सभी जिला कृषि पदाधिकारी)

5.4 वरीय प्रभारी पदाधिकारी, जैविक प्रोत्साहन कोषांग को निदेशित किया गया है कि योजनान्तर्गत विभिन्न घटकों का प्रगति प्रतिवेदन प्रतिदिन Google Doc के माध्यम से समीक्षा किया जाय।

(अनुपालन– वरीय प्रभारी पदाधिकारी, जैविक उर्वरक कोषांग)

5.5 वर्ष 2010–11 से वर्ष 2014–15 तक व्यक्तिगत/व्यवसायिक वर्मी कम्पोस्ट उत्पादन इकाईयों का कार्यरत, अकार्यरत एवं उत्पादन संबंधी प्रतिवेदन उपलब्ध कराने हेतु सभी जिला कृषि पदाधिकारी निदेशित किया गया है।

5.6 सभी जिला कृषि पदाधिकारी को निदेशित किया गया है कि वर्ष 2013–14 एवं वर्ष 2014–15 में सूची के आधार पर निकासी की गई राशि अगर व्यय नहीं किया गया है तो उसे कोषागार में